ज़िन्दा कौमें कुर्बानी देने वालों को याद रखती हैं

मुफ़क्किरे इस्लाम डॉ0 मौलाना सै0 कल्बे सादिक़

ज़िन्दा कौमों की अलामत यह है कि वो अपने मुर्दों को भी मरने नहीं देतीं। किसी ने अगर मुल्क की राह में अपनी जान क़ुरबान की है तो उस मुल्क की हुकूमत जान क़ुरबान करने वाले को ज़िन्दा रखना चाहती है। किसी ने अगर क़ौम की राह में जान दी है और वह क़ौम ज़िन्दा है तो वो क़ौम, कौम की राह में जान देने वाले को ज़िन्दा रखना चाहती है, लेकिन मुश्किल यह आ पड़ती है कि वह ज़िन्दा नहीं रख सकती, इसलिए कि मौत और ज़िन्दगी का पैदा करने वाला कोई और है। वो ज़िन्दा रखना चाहती है मगर वह ज़िन्दा नहीं रख सकती। तो जब वह ज़िन्दा नहीं रख सकती तो मजबूरन उसकी मूर्तियाँ(Statues) बना देती है।उसकी बड़ी–बड़ी तस्वीरे(photos) खास–खास जगहों पर लगवा देती हैं कि अगर हम अस्ल को बाक़ी नहीं रख सकते तो नक़्ल ही को बाक़ी रखें। अगर इन्सान को हम बाक़ी नहीं रख सकते तो कम से कम उसकी तस्वीर (फोटो) ही हम बाक़ी रखें। अगर इन्सान को हम बाक़ी नहीं रख सकते तो कम से कम उसके STATUE उसके मुजस्सिमें ही खास चौराहों पर लगवा दें। जिससे यह मालूम हो कि हम उसको ज़िन्दा रखना चाहते थे मगर क्या करें कि मौत पर हमारा क़ाबू नहीं। हम उसको बाक़ी नहीं रख सकते तो उसकी तस्वीर और फोटो बाक़ी रखे हुए हैं हिन्दुस्तान में तो यही होता है, अमरीका और यूरोप में भी यही होता है। जितने मोहज़्ज़ब (Civilized)मुल्क हैं, सब में यही होता है। इसलाम में मूर्तियों (Statues)पर पाबन्दियाँ लगी हैं यानि हम मूर्तियाँ (Statues)नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ भी किसी न किसी उनवान से ज़िन्दा रखा जाता है। क़ायदे आज़म ने इस पाकिस्तान को बनाया, मुजस्समा (Statues) उनका नहीं बनाया जा सकता है लेकिन मकबरा उनका बना हुआ है। सारी दुनिया के मुसलमान बग़ैर मस्लक और फ़िरके की क़ैद के उनके मज़ार पर आते हैं और फ़ातेहा पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल का मक़बरा लाहौर में बना हुआ है। आज भी उनकी कब्र पर गार्ड ऑफ़ आनर (Guard of honour)पेश किया जाता है और इस तरह उनके एज़ाज़ (Respect)को बरक़रार रखा जाता है।तो अगर कोई मुल्क की राह में जान दे तो मुल्क उसे याद रखता है। कोई क़ौम की राह में जान दे तो कौम वाले उसे याद रखते हैं। उसको याद रखने के लिए मुजससमे (Statues)लगाये जाते हैं, तस्वीरें लगायी जाती हैं। तो अगर कोई अल्लाह की राह में जान दे और अल्लाह उसके लिए क़ुरआन में इरशाद फरमाये जो अल्लाह की राह में क़त्ल हुए हैं उनको हरगिज़ मुर्दा न समझना।

जब तुम इतने बड़े एहसान शनास हो कि अगर कोई तुम्हारी राह में जान दे और तुम उसे ज़िन्दा रखना चाहते हो लेकिन मौत पर तुम्हारा क़ाबू नहीं ज़िन्दगी तुम्हारे बस में नहीं है, इसलिए तुम क़ुरआन मजीद में कई जगह सबीले इलाही(अल्लाह का रास्ता) का लफ़्ज़ आया है तो आखिर ये सबीले इलाही है क्या? हर वह काम जो अल्लाह की रिज़ा(खुशनूदी) के लिए उसके बन्दों के वास्ते अन्जाम दें, वही 'सबीले इलाही' है। अल्लाह तो पानी पीता नहीं है। वह तो जिस्म रखता नहीं है। अगर अपने किसी प्यासे इन्सान

को पानी पिला दिया तो अल्लाह ने कहा कि यह काम तुमने मेरी राह में किया। आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया तो अल्लाह ने कहा कि यह खाना तुम ने मेरे बन्दे को नहीं खिलाया है बल्कि मुझे खिलाया है।

किसी हक़ीकी मुस्तहक (Deserving) इन्सान की मदद करने के लिए आपने कुछ रूपये उस ग़रीब के हाथ पर रखे। अगर वाक़ई वो मुस्तहक (Deserving)है। जो पेशेवर (Professional) फ़क़ीर होते हैं, उनको कुछ न दीजिए ये जुर्म है।

पेशेवर फकीरों को देना जुर्म है लेकिन अगर कोई हक़ीक़त में मुस्तहक है तो उसको देना वाजिब है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो वाजिब है या हराम है। अगर आदमी मुस्तहेक़ नहीं है तो हराम, मुस्तहेक़ है और मदद करना आप के बस में है तो वाजिब। हमारे आइम्म–ए–मासूमीन (अ०स०) जब किसी ग़रीब की मदद करते थे (जो हक़ीक़त में मुस्तहक़ होता था) तो जो कुछ दे रहे होते थे तो पहले उसको चूमते थे और चूमने के बाद उस ग़रीब के हाथ में रखते थे और फ़रमाते थे कि ये उसके हाथ में नहीं जा रहा है बल्कि यह अल्लाह के हाथ में जा रहा है।

आप ने कहा कि हमारे पास किसी ग़रीब को देने के लिए कुछ नहीं है। न हमारे पास रूपये हैं, न हमारे पास कपड़ा है, न हमारे पास लिबास है, न मकान है और हम अल्लाह के किसी बन्दे की मदद करना चाहते हैं तो कैसे मदद करें? तो इरशाद होता है कि कुछ ना सही तो होंठ तो हैं तुम्हारे पास, ख़ाली मुस्कुरा के ग़रीब को देख लो। मुस्कुरा कर देखना भी नेकी है। किसी इंसान के दिल को खुश कर देना भी हदीस के मुताबिक सदका है।

'ये मजलिसें इबादत साज़ हैं ''

इस मजलिस में मौजूद मेरे शिया और सुन्नी भाइयों! नमाज़ बहुत बड़ी इबादत है। इतनी बड़ी इबादत कि शिया और सुन्नी, दोनों की रिवायतों में है कि अगर नमाज़ कबूल (Acept)हो गयी तो हर अमल कबूल होगा और अगर नमाज़ रद (Reject)हो गयी तो हर अमल रद हो जायेगा। नमाज़ इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज, जेहाद, खैरात सब इबादत है लेकिन ये मजलिसें इबादत नहीं हैं इबादत साज़ हैं। ये मजजिसें इन्सान को इबादत गुज़ार बनाती हैं, इनको सुन कर इन्सान आबिद बनता है। इन को सुन कर इन्सान सही मायनों में नमाज़ी बनता है। सही मायने में रोज़ेदार बनता है।

''कुरआने मजीद में तीन नबियों का ज़िक्र बार–बार''

कुरआने मजीद में बहुत से पैग़म्बरों औरनबियों का ज़िक्र है। हज़रत लूत(अ०) का भी ज़िक्र है, हज़रत यूसुफ (अ०) का भी है, हज़रत अय्यूब (अ०) का भी ज़िक्र है, मगर तीन पैग़म्बरों का ज़िक्र बार–बार आया है।

एक हज़रत इब्राहीम (अ०) दूसरे मूसा (अ०) और तीसरे हज़रत ईसा (अ०) इन तीनों पैग़म्बरों यानि हज़रत इब्राहीम (अ०) हज़रत मूसा (अ०) और हज़रत ईसा (अ०) का ज़िक्र कुरआने मजीद में बार–बार किया गया है।

इनका ज़िक्र बार–बार क्यों किया गया है? इन तीनों पैग़म्बरों का ज़िक्र कुरआने मजीद ने बार–बार इसलिए किया है कि यही तीनों पैग़म्बर वो थे जिनको अपने अपने ज़माने में अपने–अपने वक्त की सुपर पावर (Super power)से टक्कर लेना पड़ी।

हज़रत इब्राहीम (अ०) का मुकाबला नमरूद से हुआ, हज़रत मूसा (अ०) का मुकाबला फ़िरऔन से हुआ और हज़रत ईसा (अ०) का मुक़ाबला रोमन हुकूमत (Romen Empire) से हुआ। तो वो पैग़म्बर जो बातिल की कुव्वत (power)से टकराये उनका ज़िक्र कुरआने मजीद ने बार–बार करके बताया कि हक का जो नुमाइन्दा (Representative) बातिल की कुव्वत से टकरा जाये, उसका ज़िक्र एक बार नहीं, बार–बार किया जाता है।